7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे ।

8–इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बंधित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जाएगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1,000.00 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

24 दिसम्बर, 2022 ई0

जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि

सं0 321/21-एल0वी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन दी गई शक्ति की प्रयोग कर जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा अपने नियंत्रणाधीन जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा प्रदर्शनियों को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु उपविधि बनाई गयी है। यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, तथा इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां स्वतः निरस्त हो जायेगी।

परिभाषायें

1–ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में दी गई परिभाषा से है।

2–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है, जहां जिला पंचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) शामिल है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते है।

3–पशु का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणी के पशुओं से है।

4–रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे लाइसेंस अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों, पशु मेलों, पशु बाजारों में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने हेतु नियुक्त किया है। निजी पशु मेलो, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में उनके संचालक अथवा प्रबंधक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

5–दलाल का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत के लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में दलाली कार्य हेतु अधिकृत किया गया हो।

6–ठेकेदार का तात्पर्य भी उस वयस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत ने किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेके की शर्तों के अनुरूप नियम अवधि के लिये प्रबंधक के निमित्त अधिकृत किया हो।

उपविधि भाग-1

1–प्रत्येक व्यक्ति जो जिला पंचायत हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, को इन उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिये, बाजार में आये हुये व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा-पानी, सफाई तथा रोशनी का प्रबंधक व रख-रखाव स्वयं कराना होगा।

3–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबंधों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर कराना, संचालक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिये अनवार्य होगा।

4–एक से अधिक दिन चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक, मैनेजर, प्रबंधक अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

5–जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

6–नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था सम्बंधी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाईसेंस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

7–नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाईसेंस प्राप्त कर लेंगे। लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

8–किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थल से 8 किमी के अन्दर किसी दूसरे पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाइसेंस नही दिया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि यह नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व से आयोजित हो रहे पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभावी नही होगा।

9–नये वर्ष का लाईसेंस प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस बनवा लिया जाये अन्यथा तीन सौ रुपया प्रति माह विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाईसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। लाईसेंस नवीनीकरण में भी यही विधि अपनायी जायेगी। परन्तु लाईसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों में लाईसेंस संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाईसेंस शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

10–जो पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व में लग रही है, उसके संचालक को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाईसेंस बनवा लेना होगा। अन्यथा उपनियम संख्या 9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाईसेंस जारी किया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेषाधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हमीरपुर इन उपविधियों के अर्न्तगत लाईसेंस अधिकारी होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

उपविधि भाग-2

1–कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय-विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री का रजिस्ट्री कराये बिना नही कर सकेगा।

2–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति से रु0 500.00 वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

3–(अ)–निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक स्वामी, संचालक अथवा ठेकेदार को आपसी सहमति से तय होगा। प्रतिबंध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित पद से कम न होगा।

(ब)–जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारी को यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह एक रुपया प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारियों को कोई दैनिक भत्ता, यात्रा-भत्ता या अन्य कोई पाश्रिमिक देय नही होगा।

4–रजिस्ट्रेशन अधिकारी, प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री, पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

5–किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जा सकेगी।

6–रजिस्ट्रेशन अधिकारी, प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा। जो किसी भी दशा में रु0 20.00 से कम नही होगा। प्रतिबंध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क को स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकार होगा।

7–निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबंधक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षक के आदेशों का पालन न करने पर संचालन या प्रबंधक को एक माह की नोटिस दी जायेगी और इसके उपरान्त भी प्रबंध ठीक नही होता है तो लाईसेन्सिंग अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबंधन में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबंध किया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी, किन्तु अपवादित स्थितियों में जिला पंचायत को विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रबंधकीय व्यय काटकर शेष धनराशि निजी प्रबंधक अथवा संचालक को वापस की जायेगी।

8–जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नही होगा।

9–रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु बिक्री का प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183(2) के अर्न्तगत पुलिस फार्म-54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

10–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबंधक के लिये यह अनिवार्य होगा कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183(2) में निर्धारित पुलिस फार्म-54 पुस्तकें, जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा। यह शर्त ठेकेदार के ऊपर भी यथावत लागू होगी।

11–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबंधक अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तों की सूचियां रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

12–कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से पीडित पशु को नही ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्ति जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक, प्रबंधक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

13–कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत से लाईसेंस प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नही कर सकेगा।

14–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नलिखित लाईसेंस शुल्क देय होगा–

1	2	3
1	वर्ष में एक बार 1 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेंस शुल्क	रु0 10,000.00 वार्षिक
2	वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेंस शुल्क	रु0 20,000.00 वार्षिक
3	वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेंस शुल्क	रु0 25,000.00 वार्षिक
4	सप्ताह में एक बार लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ का लाईसेंस शुल्क	रु0 10,000.00 वार्षिक
5	सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ का लाईसेंस शुल्क	रु0 20,000.00 वार्षिक
6	वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी का लाईसेंस शुल्क	रु0 2,500.00 वार्षिक
7	वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाईसेंस शुल्क	रु0 5,000.00 वार्षिक

उपविधि भाग-3

1–जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों क्रेता तथा विक्रेता के बीच सम्बंध स्थापित कराने हेतु चौधरी अथवा दलाल को लाइसेंस दिया जायेगा। ऐसे चौधरी अथवा दलाल निम्नांकित शर्तो के अधीन लाईसेंस प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे।

1–कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा।

2–रु0 500.00 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाईसेंस अधिकारी द्वारा चौधरी अथवा दलाल का लाइसेंस दिया जायेगा।

3–चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता तथा विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा।

(अ) पशु के रु0 100 तक मूल्य पर	3.00 रुपये
(ब) पशु के रु0 1,000 तक मूल्य पर	40.00 रुपये
(स) पशु के रु0 1,000 के ऊपर मूल्य पर	100.00 रुपये

4–जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में 30 किमी के अन्दर अन्य किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नही कर सकेगा अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेंस अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

उपविधि भाग–4

1–जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान व उतारने के लिये अड्डो की व्यवस्था करेगी।

2–निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान एवं उतराव हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा।

3–यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डो के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा। पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डी बनायी जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

4–जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं, किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी। निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्डों की स्थापना ट्रैफिक व्यवस्था संचालन के कार्य हेतु पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बंध नही रहेगा।

5–ढुलान, उतरान एवं पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार देय होगा।

क्र0सं0	वाहन की किस्म	शुल्क रुपये
1	मेटाडोर या छोटा ट्रक, ट्राली	50.00
2	बड़ा ट्रक, ट्राली	100.00
3	छोटा ट्रक या मेटाडोर जिसमें पशु लदे हो	200.00
4	बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हो	250.00
5	सामान भरा बैलगाड़ी या खड़खड़ा	20.00
6	खाली बैलगाड़ी या खड़खड़ा	10.00
7	सामान भरा ट्रैक्टर, ट्राली, मेटाडोर तथा छोटा ट्रक	100.00
8	सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक	150.00

उपविधि भाग-5

1–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करने के लिये पशु मेलों में आने वाले सभी प्रवेश मार्गो पर चेकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

2–पशुओं की जांच के लिये जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण-पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

3–जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी। जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी।

4–निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी, यदि वह ऐसी व्यवस्था नही करता है तो लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत की ओर से ऐसी व्यवस्था करा सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बंधित निजी संचालक से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

5–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा–

क्र0सं0	प्रवेश शुल्क	रुपये
1	गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा/पड़िया एवं घोड़ा का बच्चा जिसकी आयु एक वर्ष तक हो	5.00 प्रति पशु
2	बकरा, बकरी एवं भेंड	10.00 प्रति पशु
3	गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा एवं घोड़ी	20.00 प्रति पशु
4	ऊंट एवं हाथी	25.00 प्रति पशु

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

1–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित एवं संचालित करने वाले प्रबंधक अथवा लाईसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि–

(क) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल स्वच्छ रखें

(ख) पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था करायें।

(ग) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करायें।

(घ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को रुकने तथा चारा खाने हेतु स्थल का प्रबंध कराये तथा छाया की भी व्यवस्था करायें।

(ङ) व्यापारियों को ठहरने के लिये भी समुचित प्रबंध करायें।

(च) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था करायें।

(छ) संक्रामक रोगों से बचने के लिये ब्लीचिंग पाउडर एवं डी0टी0टी0 पाउडर का भी समुचित छिड़काव करायें।

(ज) जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बंध में दिये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को करना अनिवार्य होगा।

उपविधि भाग-6

1–जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्वामित्व वाली भूमि पर पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी संचालित किये जाने हेतु खुली नीलामी नीलाम समिति के द्वारा ठेके पर दी जा सकती है। जिसकी अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। नीलामी हेतु एक समिति होगी। जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी/अभियन्ता व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे। ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा। समस्त प्रबंध अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार किया जायेगा।

2–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आई हुई दुकानों आदि की बैठक की दरें लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को ठेके पर संचालित करने, वाहन अड्डों को संचालित करने अथवा पशु प्रवेश शुल्क की वसूली का कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी। जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे।

4–जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकान लगाने का स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देखरेख में निश्चित किया जायेगा।

5–निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों, पशुओं के ठहरने आदि का स्थान लाईसेंस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ढंग से निश्चित किया जायेगा। लाइसेंस अधिकारी की अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकतानुसार स्थान एवं व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है।

6–निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी ही लाइसेंस प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुये खसरा खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उस पर विचार किया जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,

CamScanner

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

पी0एस0यू0पी0–42 हिन्दी गजट–भाग 3–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

CamScanner

4–प्रत्येक लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं मई में लाइसेंस शुल्क जमा करने पर विलम्ब शुल्क देय नही होगा। उसके पश्चात् लाइसेंस शुल्क जमा करने पर लाइसेंस शुल्क में 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ लाइसेंस शुल्क जमा किया जायेगा। नया लाइसेंस बनवाने पर लाइसेंसधारक विलम्ब शुल्क से मुक्त होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

24 दिसम्बर, 2022 ई0

मोबाईल टावर एवं अन्य व्यवसायिक टावर स्थापना एवं नियंत्रण उपविधि

सं0 322/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित की धारा 239(1) एंव 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत हमीरपुर ने जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा एंव सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित विभिन्न दूरसंचार एंव अन्य उद्देश्यों के लिये स्थापित टावरों, मोबाइल टावरों एवं अन्य व्यवसायिक टावरों आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुरूप उपविधि बनायी है। जो अधिनियम की धारा 242(4) के अन्तर्गत आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उ0प्र0 गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम–(1) यह उपविधि जिला पंचायत मोबाईल टावर एंव अन्य व्यवसायिक टावर स्थापना एंव नियंत्रण उपविधिकही जायेगी।

(2) यह जिला पंचायत, हमीरपुर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

2–परिभाषायें–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(1) "अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 से है,

(2) "टावर" से तात्पर्य रेडियों, दूरदर्शन, मोबाइल फोन, या अन्य फोन या अन्य दूर संचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहककर्ता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।

(3) "सेवा प्रदाता से तात्पर्य किसी कम्पनी उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।

(4) भवन" के अन्तर्गत मकान घर के बाहर के कक्ष छादक, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य किसी से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे चबूतरे मकानों की कुर्सियां, दरवाजे की सीढ़ियां दीवारें तथा हाते की दीवालें और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं।

(5) "भूमि" भूमि के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा पानी से ढकी हो, भूमि में उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बांधी हुई वस्तुएं और भी अधिकार है जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हों।

(6) "जिला पंचायत से तात्पर्य जिला पंचायत, हमीरपुर से है।

(7) जिला पंचायत, हमीरपुर की सीमा से तात्पर्य–(नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/नोटीफाइड एरिया को छोड़कर) ग्रामीण क्षेत्र से है।

(8) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम से परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित हों।

अपर मुख्य [illegible]

CamScanner

3–प्रतिशेध–(1) अपर मुख्य अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जिला पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी तरह की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(2) जिला पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अपर मुख्य अधिकारी की लिखित एवं पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि और भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिस्थापित करेगा और न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उसके अध्यवासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो ।

4–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिश्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 100 (एक सौ) भुगतान करके जिला पंचायत, हमीरपुर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद प्रस्तुत की जायेगी।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिस्थापित किया जाना परिनिर्मित किया जाना, खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वाँछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण, अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना एवं अभियंता, जिला पंचायत से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊंचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर ऐन्टीना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियां अंकित की जायेंगी।

(8) एक ही टावर का उपयोग एक से अधिक फर्म, कम्पनी, सेवा प्रदाता, अभिकर्ता अनुज्ञापी या संविदाकर्ता आदि करती है तो प्रत्येक को अलग-अलग लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।

(9) ऊंचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से क्लियरेंस प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वाँछित होगी।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–किसी टावर को प्रतिस्थापित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायगी

(1) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन जमा किया गया हो।

(2) टावर को समुचित स्थितियों एवं दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(4) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(5) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिस्थापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

(6) लोकहित में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें।

(7) किसी भवन की छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो ।

(8) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो

(9) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्र में लगाने से बचा जाये किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।

(10) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा सकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 5 मीटर से कम न हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(11) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रान्समिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें सम्भव एक ही टावर परस्थापित कराना होगा।

(12) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टीना तक सामान्य जन के पहुंच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्रीवाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगाकर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षणकर्मियों को भी यथा सम्भव कम से कम अवधि के टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।

(13) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पश्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्र–

(14) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(15) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृश्टतया में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहाँ टावर लागने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(16) जहाँ इससे ग्रामीण सुविधायें प्रभावित हों वहाँ अनुमति देय नहीं होगी।

(17) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् की कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

(18) टावर की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति या उसके परिणामों के लिए आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा ।

(19) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

(20) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6–सम्पत्ति कर का आरोपण–टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

7–अनुज्ञा की अवधि एवं नवीनीकरण–अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगी।

8–टावर को हटाने की शक्ति–यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिस्थापति किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो तो अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है–

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

(1) टावर हटाये जाने का व्यय ।

(2) ऐसी अवधि के दौरान टावर प्रतिस्थापित किया गया था, परिनिर्मित किया गया था, खड़ा किया गयाथा गाड़ा गया था के लिए हुई क्षति की धनराशि।

9–टावर पर निर्वन्धन–किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी।

(1) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(2) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं अन्य मार्गों की भूमि सीमा के भीतर।

(4) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(5) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हों।

(6) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो

(7) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

10–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–जिला पंचायत, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

11–अनुरक्षण–(1) सभी टावर जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बो बांधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो ढांचागत और कलात्मक दोनों की दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं हैं, तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से अच्छादित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

12–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

13–शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान की रीति–(1) इस निमित्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा किया जायेगा जो जिला पंचायत सीमान्तर्गत (नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका/नोटीफाइड एरिया को छोड़कर) न्यूनतम रु0 10,000.00 प्रति टावर प्रति एन्टीना प्रति वर्ष होगी। एक से अधिक एन्टीना में लाइसेंस शुल्क की दर रु० 3,000.00 प्रति एन्टीना अलग से होगी।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किश्त में देय होगा जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टावर को प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में वाहर कर दी जायेगी।

(4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत द्वारा जन सुविधायें या सी०सी०टी०वी० कैमरे, प्रकाश यन्त्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा । जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CS CamScanner

जिला पंचायत, हमीरपुर

02 सितम्बर, 2024 ई0

उपविधि

जिला पंचायत हमीरपुर (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2023

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा 119 से 141 तक के साथ पठित धारा 237, 239 एवं 240 के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति एवं विभव कर को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई गयी है। यह उपविधि आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि के उपरान्त शासकीय गजट (राजपत्र) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार (1) यह नियमावली जिला पंचायत हमीरपुर (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

2. यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

3. इसका विस्तार जिला हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रो में होगा।

2–परिभाषायें–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 से है।

(ख) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 119 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट विभव और सम्पत्ति कर से है।

अध्याय–दो

कर निर्धारण अधिकारी

3–कर निर्धारण अधिकारी ।धारा 140 (क)।–इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, कार्य अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। यदि जिला पंचायत में कोई कार्य अधिकारी न हो तो जिला पंचायत द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

4–कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य ।धारा 140 (क)।–(क) यथा स्थिति मुख्य अधिकारी या अपर मुख्य अधिकारी के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कर निर्धारण सूची तैयार करेगा।

(ख) इस नियमावली के अनुसार कर निर्धारण सूची जिला पंचायत के समक्ष रखेगा, और जिला पंचायत द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार उसमें संशोधन करेगा।

(ग) सूची को सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित करेगा।

(घ) कर दाताओं से कर वसूल करेगा या करायेगा, और

(ड) इस नियमावली के अधीन उसे सौंपे गये ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

अध्याय–तीन

कर निर्धारण का आधार और शर्तें

5–कर निर्धारण अधिकारी ।140 (क) –(1) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर निर्धारिती की कुल कर योग आय के आधार पर कर निर्धारण और भुगतान किया जायेगा। परन्तु यह कि कोई कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत न किया जायेगा, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर निर्धारिती की कुल कर योग आय 36 हजार रू0 से अधिक न होती हो।

1 सा0 पंचायतीराज–1

(2) धारा 123 के अधीन बनाये गये प्रस्तावों क जैसा 125 के अधीन स्वीकृत है और धारा 128 के अधीन अधिसूचित है, कर निर्धारित की कुल कर योग्य आय की गणना उसकी विभव और सम्पत्ति जिसके अर्न्तगत वेतन, मजदूरी और परिलब्धियों से आय, व्यापार से लाभ, बोनस और विनियजनो से लाभांश और ब्याज भी है, पर विचार करते हुये की जायेगी।

6– कर आरोपित करने की शर्तें और निर्बन्धन ।धारा 121 (ग) और (घ)।–कर का आरोपण निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनो के अधीन रहते हुये किया जायेगा।

(क) कर की दर तीन पैसे प्रति रूपया होगी।

(ख) कर का निर्धारण निकटतम रूपये तक किया जायेगा। 50 (पचास) पैसे से कम की धनराशि पर विचार नही किया जायेगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक धनराशि की गणना एक रूपये मे की जायेगी।

(ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि रू0 6,000 (छः हजार रूपये) प्रतिवर्ष से अधिक न होगी।

(घ) कर के आरोपण या वसूली के लिये जनसाधारण का शोषण या उन पर अत्याचार न किया जायेगा।

(ड) कर का आरोपण या उसकी वसूली, जिला पंचायत की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।

अध्याय–चार

कर का निर्धारण और वसूली

7–कर सूची का तैयार किया जाना ।धारा 140 (क)।–(1) प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर को या उससे पूर्व, कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जो कर के देनदार हो, एक सूची तैयार करेगा या तैयार करायेगा। तत्पश्चात् वह सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति के और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जो सूची में दर्ज न किये गये हो, किन्तु कर के देनदार प्रतीत हो, वैभव और सम्पत्ति पर विचार करेगा और ऐसे कर की धनराशि की अवधारणा करेगा, जिसे ऐसे व्यक्ति नियम 5 के उपबन्धो के अनुसार देनदार होगें। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम और निर्धारण की गयी कर की धनराशि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–क में कर निर्धारण सूची में दर्ज की जायेगी और उसे यथासम्भव प्रत्येक वर्ष की 20 जनवरी, को या उसके पूर्व पूरा किया जायेगा। कर का निर्धारण प्रतिवर्ष नये सिरे से किया जायेगा किन्तु गतवर्ष की कर सूची को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(2) कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 121 के खण्ड (क) में इंगित और कर देनदार प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–ख में सूचना समेकित करेगा।

(3) कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये कि–

(क) क्या ऐसा व्यक्ति कर के निर्धारण का दात्री है,

(ख) धनराशि जिस पर निर्धारण किया जाना है,

CamScanner

(ग) जिला पंचायत में उसके स्वामित्व, कब्जे या अध्यासन में भूमि, भवन या किसी अन्य सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य या किराया (रेण्ट) क्या है, इनमे से प्रत्येक में उसका हित क्या है, और यदि वह स्वामी नही है तो स्वामी का नाम और पता क्या है, और

(घ) कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारित करने के लिये जिला पंचायत के राजस्व अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी किसी व्यक्ति से कोई सूचना जो उसके पास या नियंत्रण मे हो देने की अपेक्षा कर सकता है।

8–जिला पंचायत द्वारा कर सूची पर विचार करना और उसे वापिस करना (धारा–130) कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण सूची को पूरा करने के पश्चात मुख्य अधिकारी या अपर मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष जिला पंचायत के अनुमोदन से उसे प्रत्येक वर्ष यथा सम्भव 29 जनवरी को या उसके पूर्व जिला पंचायत के समक्ष उसे अनुमोदन के लिये रखेगा। जिला पंचायत उक्त सूची को संशोधन सहित या रहित अनुमोदन कर सकती है और उसे प्रत्येक वर्ष यथासम्भव 15 फरवरी, तक आवश्यक निर्देशों सहित, यदि कोई हो, कर निर्धारण अधिकारी का वापस कर देगी।

9–करदाता या उसके अभिकर्ता द्वारा कर सूची का निरीक्षण (धारा 130)–(1) कर निर्धारण अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह उस स्थान की सार्वजनिक सूचना देगा जहां कर दाता या उसके अभिकर्ता किसी प्रकार का भुगतान किये बिना सूची का निरीक्षण कर सकते है और उसके उद्धरण ले सकते है।

(2) यदि सार्वजनिक सचूना को किसी दैनिक अंग्रेजी और हिन्दी समाचार–पत्र में जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालक हो, प्रकाशित किया गया हो, और सार्वजनिक सूचना के लिये उसको जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकाया गया हो तो यह समझा जायेगा कि सार्वजनिक सूचना दे दी गयी है।

(10) आपत्तियों पर विचार (धारा 130)–(1) कर निर्धारण सूची की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक करदाता को नोटिस देगा जिसमें उस पर निर्धारित कर की धनराशि विनिर्दिष्ट की जायेगी और उससे ऐसी नोटिस की तामीली के दिनांक से 30 दिन के भीतर निर्धारित कर के सम्बन्ध में आपत्तियों, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा।

(2) कर निर्धारण के विरूद्ध प्रत्येक आपत्ति लिखित रूप से होगी और उसके उन आधारो का उल्लेख किया जायेगा, जिनसे कर निर्धारण विवाद ग्रस्त हो गया हो और उसको कर निर्धारण अधिकारी को नोटिस में निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) कर का निर्धारण अधिकारी आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण करेगा और किन्ही आपत्तियों का निस्तारण करेगा और कर के निर्धारण सूची में कोई संशोधन जो आवश्यक हो, करायेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन कर निर्धारण सूची मे किया गया कोई संशोधन जिला पंचायत के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

11–कर सूची में संशोधन या परिवर्तन करने शक्ति (धारा 130)– जिला पंचायत, किसी भी समय, कर निर्धारित सूची में निम्नलिखित रीति से परिवर्तन या संशोधन कर सकती है –

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी आय पर कर निर्धारित किया जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नही किया गया है, नाम दर्ज करके,

(ख) ऐसे किसी कर निर्धारण को जो कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल से किया गया हो, परिवर्तन करके,

(ग) किसी लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को ठीक करके, परन्तु जिला पंचायत कम से कम एक मास की ऐसी किसी परिवर्तन या संशोधन को जिसे वह इस नियम के अधीन करने का प्रस्ताव करे, नोटिस देगी जिसमें कर निर्धारिती को, आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा, यदि प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन कर बढ़ जायें, या इससे कर निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

12–कर की वसूली (धारा 140–क)–कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, राजस्व निरीक्षण, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता, और जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी जिसे जिला पंचायत द्वारा कर वसूली करने के लिये प्रतिकृत किया जाये, कर वसूल करेगा और नियमावली से संलग्न प्रपत्र–ग मे एक रसीद देगा।

13–कर का भुगतान (धारा 140–क)–सम्बद्ध वर्ष के लिये कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान दो समान किश्तो में प्रतिवर्ष पहली 15 मई तक और दूसरी 15 नवम्बर, तक जिला पंचायत के कार्यालय में किया जायेगा।

परन्तु यदि कोई करदाता वर्ष के लिये कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 15 मई या उससे पूर्व करता है तो उसे एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दाता द्वारा नही किया जाता है तो कर के बकाये पर ऐसी अवधि के लिये जब कर अदत्त रहता है, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज भी लिया जायेगा।

14–कर वसूल करने की रीति (धारा 140)–यदि कर दाता, कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो कर के बकाये के रूप में देय समस्त धनराशि न्यायालय के माध्यम से वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल डाले बिना–

(क)–अधिनियम के अध्याय 8 की धारा 147 से 155 के अधीन विहित रीति से या तो चल सम्पत्ति का अभिहरण और बिक्री के द्वारा, या

(ख) भू–राजस्व के बकाये के रूप में, जैसा कि अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित है,

(ग) यदि कर निर्धारिती के रूप में, जैसा कि अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित है, उपक्रम का कर्मचारी, राजस्व अथवा केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कर्मचारी या राज्य अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था का कर्मचारी या किसी कम्पनी या फर्म का कर्मचारी है, तो प्रत्येक मामले में उसके विभागाध्यक्ष या नियोजक का यह दायित्व होगा कि कर्मचारी के वेतन से कर की धनराशि 2 किश्तो में कटौती करके, जैसा कि नियम 14 में उपबन्धित है, जिला पंचायत की निधि में कटौती के दिनांक से एक मास के भीतर जमा करायें।

15–मांग की नोटिस आदि पर फीस (धारा 156)–अधिनियम के अध्याय के 8 की धारा 147 से 155 के उपबन्धो के अनुसार कर के बकाये की वसूली की दशा में फीस और व्यय निम्नलिखित दर से प्रभार्य होगा।

(1) निम्नलिखित के लिये फीस	धनराशि
(क) अधिनियम की धारा 150 के अधीन नोटिस	2 रूपया या जैसा राज्य सरकार के राजस्व संग्रह विभाग द्वारा उसी कार्य के लिये समय–समय पर नियत की जाय, इसमें जो भी अधिक हो।
(ख) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिहरण	5 रूपया या जैसा राज्य सरकार के राजस्व संग्रह विभाग द्वारा कार्य के लिये समय समय पर नियत की जाय, इसमें जो भी अधिक हो।
(2) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिग्रहीत और कांजी हाउस में रखे गये किसी पशुधन के अनुरक्षण का व्यय।	जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धित कांजी हाउस में निरूद्ध पशुधन के सम्बन्ध में जिला पंचायत द्वारा नियत दर पर

16–भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली (धारा 158, 159, 237)–(1) भू–राजस्व के बकाये की भांति कर के बकाये की वसूली की दशा में जिला पंचायत, कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र अग्रसारित करेगी, जिसमें करदाता द्वारा देय धनराशि विनिर्दिष्ट की जायेगी।

CamScanner

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक प्रमाण पत्र इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–घ में तैयार किया जायेगा जिस पर जिला पंचायत द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और उसकी मुहर होगी और उसे उस जिले, जिसमें करदाता या उसका विधिक प्रतिनिधि सामान्यतया निवास करता हो,के कलेक्टर को भेज दिया जायेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर कलेक्टर उसे इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में दर्ज करायेगा और प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट धनराशि को राजस्व के बकाये की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन वसूल की गयी धनराशि यथासम्भव वसूली के दिनांक से एक मास के भीतर जिला पंचायत को भेज दी जायेगी।

(5) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन किसी अभिग्रहण की कार्यवाही में या भू–राजस्व के बकाये की भांति किसी वसूली में अभिग्रहीत पशुधन को या यथासम्भव जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धित निकटतम कांजी हाउस में रखा जायेगा।

अध्याय–पॉच

कर की वापसी और भुगतान की प्रक्रिया

17–कर की वापसी (धारा 140)–कोई व्यक्ति जिसने आधे वर्ष की पूरी अविधि के लिये कर का भुगतान कर दिया है और जो अवधि के लिये कर निर्धारण से मुक्त हो गया है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये कर की अनुपातिक धनराशि की वापसी पाने का हकदार होगा–

(क) केवल पूरे मास के लिये ही धन की वापसी की जायेगी।

(ख) धन की वापसी की गणना करने में पूरे मास से कम अवधि की गणना नही की जायेगी, और

(ग) कोई धनराशि तब तक वापस नही की जायेगी जब तक कि इस सम्बन्ध में सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को लिखित नोटिस न दी जाय।

अध्याय–छः

अपील

18–अपील (धारा 135 और 136)–(1) विभव और सम्पत्ति कर के निर्धारण या उसमें किसी परिवर्तन या संशोधन के विरूद्ध अपील अधिनियम की धारा 136 के अधीन दिये गये शर्तों के अधीन रहते हुये, विहित प्राधिकारी को की जा सकती है।

(2) अपील ज्ञापन के रूप में की जायेगी, जिसमें उस आदेश के प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, आपत्तियों के कारण संक्षिप्त रूप में दिये जायेगें।

(3) प्रतिवादियों पर तामील करने के लिये अपील ज्ञापन के साथ पर्याप्त संख्या में उसकी प्रतिलिपियां और इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र "ह" में नोटिस की प्रतिलिपियां भी होगी।

(4) अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर उसके प्रस्तुत करने का दिनांक लिखा जायेगा और यदि वह समय से प्रस्तुत किया गया हो, और अधिनियम की धारा 136 के खण्ड (ख) के उपबन्धो का अनुपालन किया गया हो, तो उसकी नोटिस प्रतिवादियों पर तामील की जायेगी, जिसमें सुनवाई का दिनांक निश्चित होगा।

(5) विहित प्राधिकारी के विवेकानुसार सुनवाई को किसी प्रक्रम पर किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित किया जा सकता है।

(6) दोनो पक्षो की सुनवाई करने के पश्चात् विहित प्राधिकारी अपना आदेश लिखित रूप में देगा जिसमें उसके विनिश्तय के कारण दिये गये होगें और वह उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे सुनायेगा।

19–नियमों के उल्लघंन के लिये शास्ति–जो कोई भी इस नियमावली के उपबन्धो का उल्लघंन करेगा वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रू0 1,000.00 (एक हजार मात्र) तक होगा और जब उल्लघंन जारी रहने वाला उल्लघंन हो तो अग्रतर जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसी प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता रहा है, 50.00 (रूपया पचास मात्र) प्रतिदिन तक दण्ड दिया जा सकेगा अथवा जुर्माने का भुगतान न किया जाय जो कारावास से दण्डित हो, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

प्रपत्र–क

(नियम–8)

(नियम 8 में यथा उल्लिखित कर निर्धारण सूची)

क्र0 सं0	विभव और सम्पत्ति कर का ब्यौरा	कर दाता का नाम	पूरा पता	प्रस्तावित आय	प्रस्तावित कर	अन्तिम रूप से कर निर्धारित आय	कर विनिश्चय	कर का संक्षिप्त विवरण	मांग और वसूली रजिस्टर की क्रम संख्या	अन्य व्यक्ति यदि काई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–ख

(नियम 7 का उपनियम 2 देखियें)

क्रम संख्या	संभाव्य करारोपित व्यक्ति या संस्था का नाम और पता	विभव और सम्पत्ति कर का ब्यौरा	विभव और सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

प्रपत्र–ग
(नियम 12)
(ऊपरी वर्ग)

(अमिट पेंसिल से दोनो ओर वाले कार्बन पेपर की सहायता से लिखा जायेगा)
जिला पचांयत को भुगतान की रसीद

जिला पचांयत के नाम वाली
रबर की मुहर

पुस्तिका संख्या...रसीद संख्या...
मांग रजिस्टर संख्या...
....से...के मुद्दे
रूपया (शब्दो में)...प्राप्त किया।

मांग बिल संख्या...का पूरा/आंशिक भुगतान..............................रूपया

स्थान..
दिनांक..

रोकड़िया
लेखाकार

मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी,
कर समाहर्ता,

मांग और वसूली रजिस्टर का प्रभारी लिपिक,
कार्य अधिकारी/कर अधिकारी

CamScanner

प्रपत्र–घ

(नियम 16 (2) देखिए)

{धारा 150 (2)}

सेवा में,

कलेक्टर,

जिला...

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे क्रम संख्या में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा वैभव और सम्पत्ति कर के मुद्दे नीचे क्रम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट धनराशि देय है।

उपर्युक्त व्यक्ति जिले में साधारणतया निवास करता है/करते है और जंगम/स्थावर सम्पत्ति का/के स्वामी हैं/है।

अतएव, अनुरोध है कि आप उपर्युक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से उक्त धनराशि (वसूली पर हुये व्यय के सहित) भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल करें और वैभव और सम्पत्ति पर कर सम्बन्धी देयों को वसूली के माह के भीतर निम्नलिखित रीति से यथासम्भव शीघ्र भेजे–

दावे का ब्यौरा–

1–ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम पिता का नाम और पूरा पता जिस/जिन पर वैभव और सम्पत्ति कर देय है ....

2–वर्ष (वर्षो)...के लिये यथा निर्धारित वैभव और सम्पत्ति कर को धनराशि ....

3–वैभव और सम्पत्ति कर की शुद्धि धनराशि का विवरण जो भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी ....

4–दिनांक, जब कर की शुद्ध धनराशि, जैसा कि ऊपर दावा किया गया है, देय हुई। ....

दिनांक...

मुहर...

प्रपत्र–ड

{नियम 18 का उपनियम (3) देखिये}

नियत प्राधिकारी .... के समक्ष .... स्थान .... की अपील संख्या ....

बनाम

....

....

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

सेवा में,

....

....

....

चूँकि .... ने वैभव और सम्पत्ति कर के निर्धारण से सम्बन्धित कार्यवाही में कलेक्टर/परगना अधिकारी के आदेश दिनांक .... के विरूद्ध जिला पंचायत हमीरपुर (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और वसूली) नियमावली 2011 के नियम 18 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 135 के अधीन अपील प्रस्तुत की है,

अतएव आपको सूचित किया जा रहा है कि उक्त अपील की सुनवाई .... में नियत प्राधिकारी के कार्यालय में .... (दिनांक) को प्रातः 10 बजे या बाद के किसी दिनांक को जिसके लिये उसे स्थगित किया जाय, की जायेगी।

कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि चूक होने की स्थिति में अपील की सुनवाई एकपक्षीय की जायेगी।

आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन जारी किया गया।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बाँदा।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

CamScanner

15–वाहनों के लाइसेंस न बनवाने वाले अथवा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर जि0पं0 लिखित रूप से वाहन को अपनी अनुरक्षा में लेने का अधिकारी होगा और यदि एक सप्ताह निर्धारित किये गये शुल्क को अदा कर लाइसेंस प्राप्त न किया जायेगा तो बिना किसी के पकड़ा गया वाहन जि0पं0 अधिनियम के अन्तर्गत रिकवरी चालान कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र/जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बाँदा यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोश सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो रू0 1,000.00 तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोश सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रू0 50.00 तक हो सकेगा अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 3 माह होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।

जिला पंचायत, हमीरपुर

24 दिसम्बर, 2022 ई0

नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि

सं0 319/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत हमीरपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से उस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधि बनायी है। यह उपविधि उ0प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का तात्पर्य भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना, पुर्ननिर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में ममटी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CS CamScanner

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो ।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है:–

अ–अभियंता–अभियंता, जिला पंचायत

ब–अवर अभियंता–इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोडी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत हमीरपुर से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत हमीरपुर से है।

24–बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं

CS CamScanner

भाग 3
गढ़ रो

उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्निस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पैट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो ।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जाडने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का (National Building Code) एवं (Bureau of Indian Standards) यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत हमीरपुर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा ।

1. उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

   अ. ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

   ब. सफेदी व रंग-रोशन के लिए ।

   स. प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

   द. पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए ।

   य. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण ।

   र. मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शें

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तारया भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एकमाह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1. स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगाः–

ले-आउट प्लान का पैमाना	1 : 500 होगा।
की-प्लान का पैमाना	1 : 1000 होगा।
बिल्डिंग प्लान का पैमाना	1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2. प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा ।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित ।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र ।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण ।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खंड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खंड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3. बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण,परिवर्तन,विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि
अ–प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब- प्रस्तावित निर्माण धर्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो ।

स--प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

CamScanner

(घ) तकनीकि अनुदेश (Technical Instructions)

1. क–एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है ।

ख–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी ।

ग–लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

घ–बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

ङ–बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा ।

च–राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्राविधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी ।

छ–बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है, सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी ।

2. निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है–

क–जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत् उप केन्द्र आदि।

ख–मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग–ढके हुए पैदल पथ आदि ।

3. क–आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

ख–छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए ।

ग–ए०सी० कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए ।

घ–रसोईघर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

ङ–संयुक्त संडास (TOILET) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

च–खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

छ–तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए ।

4. क–पार्क, टॉट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

ख–30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

ग–भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5. स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एव बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा ।

6. बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे--

क्र0 सं0	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
1.	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2.	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3.	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4.	व्यवसायिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स,	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5.	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15

CamScanner

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
6.	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7.	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कारपोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8.	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9.	नर्सरी	10	0.50	6	6
10.	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11.	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12.	डेयरी फार्म	10	0.15	10	6
13.	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14.	ए० टी० एम०	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (Set-Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (Side)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर	मीटर		
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृति केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लाज, अतिथि गृह, हास्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिये
7	हास्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिंग

1–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़े मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जाएगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे– स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एण्ड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वैट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

1–मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी/भू-स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी ।

2–जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे ।

3–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए ।

4–जहाँ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

5–सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार कि क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी/भू-स्वामी का होगा ।

6–इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

7–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रूपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रूपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non- Refundable) होगा । अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

8–शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

क–आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 25 रूपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख–व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 50 रूपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग–(i) भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बॉटना।

(ii) भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे–निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर०सी०सी० पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग–(i) से (iv) तक, सूची (1) के अनुसार जनपदों में 20 रूपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ–पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

ङ–स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

च–बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी ।

छ–यदि स्वीकृती के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होगी । एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी ।

ज–उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी ।

झ–सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर व अन्य जनपदों में 10.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

ण–सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 10.00 रुपये प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में 5.00 रुपये प्रति मीटर होगी ।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय मे जमा किये जायेंगे। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9--जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की सम्भाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकि जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10--अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11--अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12--आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13--उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14--यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद--उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृति नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General-Instructions)

1--भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी!

2--भू- खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा ।

3--भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4--निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियत्रिंत हो, के 5 किमी0 की परिधि में 30 मीटर से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5--उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणो का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6--उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बंधित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जाएगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1,000.00 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

24 दिसम्बर, 2022 ई0

जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि

सं0 321/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन दी गई शक्ति की प्रयोग कर जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा अपने नियंत्रणाधीन जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा प्रदर्शनियों को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु उपविधि बनाई गयी है। यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, तथा इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां स्वतः निरस्त हो जायेगी।

परिभाषायें

1–ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में दी गई परिभाषा से है।

2–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है, जहां जिला पंचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) शामिल है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते है।

3–पशु का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणी के पशुओं से है।

4–रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे लाइसेंस अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों, पशु मेलों, पशु बाजारों में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने हेतु नियुक्त किया है। निजी पशु मेलो, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में उनके संचालक अथवा प्रबंधक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

रजिस्ट्री सं०-[illegible]
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 1 जनवरी, 2022 ई० (पौष 11, 1943 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

28 दिसम्बर, 2021 ई०

सं० 334/21-L.B.A-उपविधि–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा जनपद हमीरपुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरम, रेत या अन्य खनिजों-मिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में जिले से बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशुचालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्फर, पशु गाड़ी या मानवचालित नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि संख्या 447/23-एल०बी०ए० जिनकी पुष्टि आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी थी, राजपत्र (गजट) में प्रकाशन के दिनांक 16 मार्च, 2015 से प्रभावी है; उक्त अधिनियम की धारा 239 में दी गयी व्यवस्थानुरूप जिलापंचायत, हमीरपुर के द्वारा उपविधि की धारा 06 में उल्लिखित शुल्क दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 242 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा की पुष्टि उपरान्त राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी–

क्र०सं०	परिवहन का माध्यम	वर्तमान में वसूली हेतु प्रभारी दरें	संशोधित एवं प्रभारी दर
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ी	10 प्रति फेरी	20 प्रति फेरी
2	मानव चालित नाव	20 प्रति फेरी	40 प्रति फेरी
3	ट्रैक्टर-ट्राली	50 प्रति फेरी	100 प्रति फेरी

1	2	3	4
4	ट्रक–	रु०	रु०
	(1) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स)	100 प्रति फेरी	200 प्रति फेरी
	(2) ट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स 6 चक्का)	150 प्रति फेरी	300 प्रति फेरी
	(3) भारी ट्रक (हैवी वेहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	200 प्रति फेरी	400 प्रति फेरी

सम्बन्धित उपविधियो के शेष उपबन्ध पूर्व में उ०प्र० गजट में प्रकाशित उपरोक्त संदर्भित उपविधि दिनाक 16 मार्च, 2015 के अनुसार यथावत् रहेगी।

दण्ड

जिला पंचायत हमीरपुर, उ०प्र० क्षेत्र पचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निदेश देती है। कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। जो रु० 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब यह उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु० 50.00 (रुपये पचास मात्र) तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

ह० (अस्पष्ट),
आयुक्त।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

16 मार्च, 2015 ई० / हमीरपुर

सं० 847/23-एल०बी०ए०/उपविधि-प्रकाशन--उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा जनपद हमीरपुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट के बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी है जिनकी पुष्टि आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी है, राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी। इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी।

उपविधियां

1--यह उपविधि, जिला पंचायत हमीरपुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में या जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक डम्पर, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी घोड़ा गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2--परिभाषायें--इन उपविधियों में

2.1--"अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) से है;

2.2--"जिला पंचायत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार संघटित जिला पंचायत हमीरपुर से है;

2.3--"ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है;

2.4--"अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत हमीरपुर से है;

2.5--"अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत हमीरपुर के अपर मुख्य अधिकारी से है;

2.6--"सार्वजनिक मार्ग" का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने जाने का जन साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है में निहित या उसके द्वारा अनुरक्षित हो;

2.7--"नदी मार्ग" का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है;

2.8--"पशु गाड़ी" का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है;

2.9--"स्थान" का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा नियत किया जाये ;

2.10--"शुल्क" का तात्पर्य इस उपविधि के क्रमांक-6 द्वारा निर्धारित शुल्क से है;

3--यह उपविधियां ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, बंबेरीज आदि से खनिजों को लेने एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजो का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4--कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारो से निकलने वाली मिट्टी को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक सड़क या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, या मानव चलित नौका से परिवहन करेगा तो उसको जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार को अदा करना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

5-जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। ठेके की अवधि ...वित्तीय वर्ष की होगी जो किसी वर्ष की 01 अप्रैल से आरम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6-जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी--

1-पशुओ के द्वारा खीचे जाने वाली गाड़ी	रु0 10 प्रति फेरी
2-मानव चालित नाव	रु0 20 प्रति फेरी
3-ट्रैक्टर ट्राली	रु0 50 प्रति फेरी
4-ट्रक	
(क) मिनी ट्रक (लाइट गुडस विहिकिल्स)	रु0 100 प्रति फेरी
(ख) ट्रक (लाइट गुडस विहिकिल्स 6 चक्का)	रु0 150 प्रति फेरी
(ग) भारी ट्रक (हैवी गुडस विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	रु0 200 प्रति फेरी

7-उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढोत्तरी प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। जिस ...त्तीय वर्ष मे उपविधि लागू होगी गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा बढोत्तरी की गणना करने पर जो ...धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

8-यदि शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो खुली सार्वजनिक नीलामी या सील्ड टेण्डर पद्धति से दिया ...जायेगा जिसका प्रचार दो प्रचलित समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या ...राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेब साइट पर अपलोड की जायेगी जिसके अधीन टेण्डर फार्म डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

9-पंचायतीराज अनुभाग के शासनादेश संख्या 819/33-2-2007-190जी/2007, दिनांक 10 अप्रैल 2007 के अनुसार ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

10-ठेके की धनराशि रु0 01 करोड तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य ...होगा। रु0 01 करोड से अधिक धनराशि की स्थिति में रु0 01 करोड की धनराशि तत्काल जमा की जायेगी इससे ...पर की शेष धनराशि 02 समान किस्तों में जमा की जा सकती है जिसकी प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय ...किस्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त एवं जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एवं ...ठेका छोडने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो वह उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

11-ठेकेदार को ठेका स्वीकार होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबंध कराना अनिवार्य होगा।

12-जिला पंचायत हमीरपुर के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपर्ण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13-ठेकेदार वसूली स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर एक 6'×4' का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14-इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम ठेकेदार का नाम व पता ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नं0 लिखना अनिवार्य होगा।

15-ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा जो कि उन कार्मियों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर ...मुख्य अधिकारी द्वारा संबन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16-शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर किये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद वही रखनी होगी जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

17-ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

18—ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत में मत भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 01 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19—ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20—गम्भीर अनियमितताओं, की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः नीलाम किये जाने पर में यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

21—वसूली स्थल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हमीरपुर के द्वारा सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे जहां पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

22—वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23—इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, मिट्टी, बजरी, रेत, गिट्टी, खानों से निकलने वाली मिट्टी कोयला के अभिवहन के समय मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति का वसूली हेतु नियत जिला पंचायत कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

24—जिला पंचायत हमीरपुर को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तांतरित करना अनिवार्य होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य योजना जिला पंचायत हमीरपुर को प्रस्तुत करेंगें तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

25—जिला पंचायत, हमीरपुर को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित वसूली स्थल से सम्बन्धित विकास खण्ड में जन विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

दण्ड

जिला पंचायत, हमीरपुर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश देती है। कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1000.00 (रु0 एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष, सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (रु0 पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूट धाम मण्डल, ...

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 जनवरी, 2023 ई० (माघ 1, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, हमीरपुर

24 दिसम्बर, 2022

ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत दुकान व अन्य व्यवसाय नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि

सं0 318/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत हमीरपुर ने जनपद हमीरपुर के ग्राम्य क्षेत्र में, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, सार्वजनिक सड़क एवं स्वयं की भूमि पर दुकान व अन्य व्यवसाय करने सम्बंधी कार्य करने को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 यथा संशोधित की धारा 239(2) के अर्न्तगत प्रचलित उपविधि सं0-5381-23-एल0बी0ए0-51 दिनांक 24 सितम्बर, 1991, उपविधि प्रकाशन 01 नवम्बर, 1997 के स्थान पर संशोधित उपविधि बनाई गई है। यह उपविधि उ0प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी

परिभाषायें

1—अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2—ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगी।

उपविधि

1—यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2—यह उपविधि दुकानें एवं अन्य व्यवसाय को विनियमिति करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

3—कोई भी व्यक्ति/संस्था जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क के किनारे अथवा अन्य स्थान पर उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय तब तक नहीं कर सकता है जब तक उस व्यक्ति/संस्था ने जिला पंचायत, हमीरपुर में निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करके लाइसेंस न प्राप्त कर लिया हो।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

4–प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष होगी, जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण चालू माह अप्रैल तक करा लेने की दशा में विलम्ब शुल्क से मुक्त होगा। परन्तु निर्धारित अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में रु0 100.00 तक निर्धारित लाइसेंस शुल्क में रु0 10.00 विलम्ब शुल्क तथा रु0 100.00 से रु0 500.00 तक निर्धारित लाइसेंस शुल्क में रु0 25.00 विलम्ब शुल्क तथा रु0 500.00 से अधिक लाइसेंस शुल्क पर रु0 50.00 विलम्ब शुल्क प्रति लाइसेंस शुल्क सहित जमा करना होगा।

5–उपविधि 4 में वर्णित विलम्ब शुल्क से नये व्यवसायी मुक्त होंगे परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था को लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी की अनुमति से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6–उपविधि में निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क की वसूली/उगाही सामान्यतः अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से कराई जायेगी, कर्मचारियों के अभाव में पंचायत हित में लाइसेंस शुल्क की वसूली की नीलामी ठेके पर देने की कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, हमीरपुर में निहित होगा। वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी–

(अ) ठेका/नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार मा0 अध्यक्ष में निहित होगा।

(ब) नीलामी व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी, नीलाम समिति में जिला पंचायत में कार्यरत कार्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, कर अधिकारी सदस्य होंगे तथा अपर मुख्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष नामित होंगे।

7–ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/संस्था को इस आधार पर लाइसेंस शुल्क से मुक्त नहीं किया जा सकता है कि उसने किसी अन्य संस्था, निकाय अथवा सम्बन्धित विभाग लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, प्रत्येक व्यवसायी को हर हालत में जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8–उपविधि के अधीन कोई भी लाइसेंस शुल्क का बकाया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्याय-8 में वर्णित रीति से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

9–जिला पंचायत, हमीरपुर के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी अथवा पंचायत का कर्मचारी जिसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है किसी भी दुकान का निरीक्षण कर शुल्क जमा कराने का अधिकारी होगा साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी व जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का अन्य कर्मचारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कम दर्जे का न हो किसी भी उचित समय पर किसी भी दुकान में रखे गये खाद्य पदार्थ या अन्य बिक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण करते है, उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे दुकान पर रखे गये खाद्य पदार्थ जो मनुष्यों के उपयोग हेतु उचित हो तत्काल नष्ट कर दें जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

10–इस उपविधि के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंसधारक द्वारा उपविधि के किसी भी धारा, उपधारा का उल्लंघन करने पर लाइसेसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय लाइसेंस को स्थगित कर दे अथवा निरस्त कर दे, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष जिला पंचायत हमीरपुर के समक्ष आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर की जा सकती है। इस विषय पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

11–जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा बनाई गयी उपविधि के अन्तर्गत लाइसेंस धारकों को निम्नांकित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा –

(क) कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसे किसी व्यक्ति को जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं ही उपविधि में वर्णित व्यवसाय कर सकता है और न ही किसी ऐसे रोगी व्यक्ति को व्यवसाय में नौकर या सहायक के रूप में सेवायोजित कर सकता है।

(ख) कोई भी लाइसंसधारक/व्यक्ति खाद्य पदार्थ को बनाने या रखने हेतु धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थ को किसी भी प्रकार विकृत कर दूषित करते हो अथवा जिनमें बनाया हुआ अथवा रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो।

(ग) खाद्य पदार्थ को बिक्री के लिये रखे गये साफ बर्तनों में इस प्रकार ढककर रखे जायेगें जिनमें उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव-जन्तु बैठने न पाये जिससे खाद्य सामग्री हानिप्रद होने की सम्भावना न रहे।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

(घ) प्रत्येक लाइसेंसधारक को अपने दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगवाना पड़ेगा जिसमें दुकान का नाम, व्यवसाय का विवरण, लाइसेंस धारक का नाम तथा रेट आदि भी अंकित करना होगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित व्यवसाय करने वाले लाइसेंस धारक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माप बाटों का प्रयोग करना होगा तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के निर्देश का अनुपालन करना होगा।

12—उपविधि के प्रस्तर-6 में दी गई व्यवस्थानुसार पंचायत द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में लाइसेंस शुल्क उगाही कराने हेतु ठेका/नीलामी का निर्णय लिया गया है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे—

(क) नीलाम/ठेका स्वीकृत के उपरान्त उपविधि के प्राविधानों व तत्सम्बन्धी बनाई गई शर्तो के अनुसार इकरार करना होगा।

(ख) सम्बन्धित ठेकेदार को निर्धारित स्टैम्प पर "जैसा कि स्टाम्प नियमों में निर्धारित दर हो" अनुबन्ध करना होगा।

(ग) सम्बन्धित ठेकेदार को पंचायत द्वारा निर्धारित रसीद बहियों में वसूली कार्य करना होगा जो पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जारी की जायेगी।

(घ) सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वसूली शुल्क उद्ग्रहीत हेतु नियुक्त संग्रहकर्ताओं के नाम, पता, फोटो सहित सूची प्रस्तुत की जायेगी तदुपरान्त लाइसेंसिग अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शुल्क उद्ग्रहीत अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित शर्तो के साथ पंचायतीराज उ0प्र0 शासन व पंचायत तत्सम्बन्धी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

13—उपविधि में वर्णित दुकानें व अन्य व्यवसायों के लिये दुकान/व्यवसायवार लिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा दरें निम्नवत है —

क्र0सं0	दुकान का प्रकार/व्यवसाय विवरण	लइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु0
1	कपड़ा की फुटकर दुकान (वस्त्र भण्डार)	300.00
2	कपड़ा की दुकान थोक	500.00
3	परचून की दुकान फुटकर (छोटी)	300.00
4	परचून की दुकान बड़ी (थोक)	500.00
5	किराना की फुटकर (छोटी)	300.00
6	किराना की बड़ी दुकान (थोक)	1,000.00
7	गल्ला खरीद बिक्री की बड़ी दुकान (गल्ला आढ़त) (10 कु0 से अधिक पर)	1,000.00
8	गल्ला खरीद की फुटकर दुकान (छोटी) (10 कु0 तक)	500.00
9	सोने चादी की आभूषण की बिक्री दुकान (सर्राफ)	2,000.00
10	साने चांदी के आभूषण बनाने की दुकान	500.00
11	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी/देशी दवायें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अन्य (छोटी)	500.00
12	मेडिकल स्टोर (थोक) देशी दवायें, होम्योपैथिक अन्य	1,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

1	2	3
		रु0
13	बिशात खाना	300.00
14	जनरल स्टोर	500.00
15	पुस्तक कापी (स्टेशनरी छोटी दुकान)	300.00
16	पुस्तक कापी (स्टेशनरी थोक)	500.00
17	मीठा दुकान (मिष्ठान भंडार)	500-00
18	चाय की दुकान (टी स्टाल)	300.00
19	पान की दुकान	300.00
20	चाय-पान की सम्मिलित दुकान	500.00
21	शर्बत, लस्सी, कोल्डड्रिंक, सोडावाटर आदि की दुकान	300.00
22	होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट	2,000.00
23	लोहे की बड़ी दुकान (जिसमें कटिया, मशीन, बाल्टी, सरिया, इंगल आदि शामिल)	1,000.00
24	लोहे की छोटी दुकान (जिसमें लाहे की बनी अन्य वस्तुयें शामिल)	500.00
25	साईकिल स्टोर (साईकिल एवं पुर्जो के विक्रेता थोक)	500.00
26	साईकिल स्टोर (साईकिल के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत कार्य)	200.00
27	बर्तन बिक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, तांबा, सिलवर आदि धातु बड़ी)	500.00
28	बर्तन बिक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, ताबा सिलवर अन्य धातु छोटी)	200.00
29	कपड़ा सिलाई (टेलरिंग शाप) जिसमें एक मशीन हो	200.00
30	कपड़ा सिलाई मशीन (टेलरिंग शाप) जिसमें एक से अधिक मशीन हो	500.00
31	जलाऊ लकड़ी की दुकान टाल	300-00
32	इमारती लकड़ी की दुकान जिसमें बल्ली लट्ठा आदि हो	500.00
33	इमारती लकड़ी से बनाये जाने वाले समान (फर्नीचर दुकान)	1,000.00
34	कोयला की दुकान (सभी प्रकार)	500.00
35	बिल्डिंग मटेरियल (सप्लायर) अथवा किराये पर उठाने वाला	500.00
36	बूट हाउस जूता की दुकान शो रूम	500.00
37	जूता चप्पल की दुकान	300.00
38	जूता के अलावा चमड़े के बने हुए अन्य सामान की दुकान (लेदर स्टोर)	200.00
39	रैक्सीन तिरपाल आदि के बैग अटैची तथा अन्य सामान की दुकान	500.00
40	स्पंच के गद्दे तकिया सोफा प्लास्टिक फर्नीचर विक्रेता	1,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

5

1	2	3
		रु0
41	कृषि यंत्र (कृषि औजार)	300.00
42	बीज भंडार समस्त प्रकार के बीज भंडार (सरकारी बीज बाजार छोड़कर)	300.00
43	टीन चद्दर के बाक्स, पलंग, कुर्सी स्टील फर्नीचर दुकान	500.00
44	वाच शाप घड़ी विक्रेता (जेब, हाथ, अलार्म घड़ी)	500.00
45	वाच रिपेयर दुकान (समस्त प्रकार की घड़ी के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत)	200.00
46	बिजली के सामान की दुकान (समस्त विद्युत् उपकरण एवं मरम्मत)	500.00
47	रोड लाइट (बिजली सजावट साउण्ड सर्विस)	500.00
48	रसायनिक खाद दुकान (जिसमें सरकार खाद व गोदम न हो)	300.00
49	फलों की दुकान	300.00
50	सब्जी की दुकान	300.00
51	फल एवं सब्जी की सम्मिलित दुकान	500.00
52	कांच व चीनी पत्थर के समान की दुकान (काकरी दुकान)	200.00
53	पत्थर व पत्थर से बने सामान की दुकान	200.00
54	बाल कटिंग (सैलून) दुकान	300.00
55	आटो पार्टस दुकान (दुपहिया वाहन)	500.00
56	आटो पार्टस दुकान (चार पहिया वाहन)	500.00
57	मोटर गैरिज (दुपहिया वाहन)	500.00
58	मोटर गैरिज (चार पहिया वाहन)	1,000.00
59	मोटर कार, जीप कार, मोटर साइकिल, स्कूटर पंचर, हवा भरने की दुकान	300.00
60	पम्पसेट एवं पार्टस विक्रय दुकान	1,000.00
61	धर्मकाटा	1,000.00
62	पशु आहार विक्री दुकान	200.00
63	मुर्गी पालन उद्योग	1,000.00
64	डेयरी फार्म (दुग्ध उद्योग)	1,500.00
65	हथियार अग्नेयास्त्र की दुकान	2,000.00
66	अफीम गांजा, भांग, ताडी की दुकान	1,000.00
67	देशी शराब की दुकान	2,000.00
68	विदेशी शराब की दुकान	3,000.00

25 50 25 50 25 50

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

1	2	4
		रु0
69	फोटो स्टूडियों, फोटो कापी, कम्प्यूटर सर्विस	1,000.00
70	रेडिमेड कपड़ा (होजरी) दुकान	500.00
71	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एव पार्टस विक्रेता	500.00
72	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एव पार्टस मरम्मत कार्य	200.00
73	पी0सी0ओ0 (दूर संचार सेवा) मोबाइल दुकान	1,000.00
74	मशीन अथवा हाथ से जूता चप्पल निर्माण कर्ता	300.00
75	गुड़, लाई, चना, मूंगफली विक्रेता	200.00
76	गुड़, शक्कर, मैदा आदि की दुकान	200.00
77	लांड्री (ड्रावलीनर) दुकान	500.00
78	तम्बाकू विक्री की दुकान	500.00
79	रूई विक्रेता	500.00
80	सभी प्रकार खेल कूद स्पोर्टस दुकान	500.00
81	कबाड़ी की दुकान	300.00
82	सीमेन्ट, गिट्टी, पत्थर सीमेन्ट/प्लास्टिक पाइप (सिनेटरी), फिटिंग टायल्स मारबल की दुकान	2,000.00
83	रंग रोगन की दुकान (वार्निश पेंट) वाल पेंट, डिस्टैम्पर, इसनोसेम की दुकान	2,000.00
84	शामियाना, कुर्सी आदि किराये की दुकान (टेंट हाउस)	1,000.00
85	कोलतार (डामर) फिनायल विक्रेता	1,000.00
86	अण्डे की दुकान	300.00
87	घी, दूध, तेल की दुकान	200.00
88	हाथ ठेला फेरी अथवा खोन्चा (सिर पर) फेरी कार्य	100.00
89	लकड़ी के खिलौने बनाने व बिक्री की दुकान	300.00
90	दूध फेरी विक्रेता 10 ली0 तक	200.00
91	दूध फेरी विक्रेता 11 ली0 से 20 ली0 तक	200.00
92	दूध फेरी विक्रेता 21 ली0 से अधिक	550.00
93	खोवा उत्पादक फेरी द्वारा क्रय विक्रय	200.00
94	कपड़ो की रंगाई (रंगरेज)	200.00
95	साइन बोर्ड दीवाल पेंटिंग (पेन्टर) दुकान	200.00
96	कपडा/विशातखाना दुकान अन्य घरेलू सामान (फेरी द्वारा)	100.00
97	अन्य छोटे व्यवसाय :	500.00

50 (69, 73, 82–85); 25 (70–72, 74–81, 86–97)

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

1	2	3
		रु0
98	आतिशबाजी की दुकान	1,000.00
99	नौटंकी कम्पनी खेल तमाशा व मनोरंजन शो आदि पर	1,000.00
100	बैण्ड बाजा	1,000.00
101	अन्य बाजा (बीन बाजार ढोल पंजाबी भांगड़ा)	500.00
102	रेडिया टी0वी0 इलेट्रिानिक समान की दुकान	500.00
103	रेडियों टी0वी0 अन्य इलेक्ट्रानिक समान के पुर्जे बिक्री व मरम्मत	500.00
104	फुटकर मिट्टी का तेल, कैरोसीन, डीजल, मोबिआयल	200.00
105	पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प	5,000.00
106	मिट्टी का तेल पम्प कोरीन	1,000.00
107	कोल्ड स्टोरेज	5,000.00
108	प्रापर्टी डीलर व्यवसाय	2,000.00
109	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स	500.00
110	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट वाहन सहित ट्रेवल्स	2,000.00
111	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट आटो रिक्शा (दो सीटर अथवा चार शीटर)	200.00
112	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स आटो रिक्शा (मेटाडोर) 7 सीट तक	500.00
113	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मिनी बस	700.00
114	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स बस	1,000.00
115	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स अन्य चार पहियों के व्यवसायिक वाहन	500.00
116	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मोटर वाहन ऐजेंसी (सेल्स/सर्विस)	5,000.00
117	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स स्कूलर/मोटर साइकिल एजेंसी (सेल सर्विस)	5,000.00
118	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 बेड तक	1,000.00
119	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 से अधिक	2,000.00
120	ठंडी बियर की दुकान	2,000.00
121	बलू स्टाकिस्ट (डम्प) 2000 घन मी0 तक	1,000.00
122	बलू स्टाकिस्ट (डम्प) 2001 घन मी0 से अधिक	2,000.00
123	टायर रबडिंग की दुकान	1,000.00
124	अन्य बडे व्यवसाय	5,000.00
125	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्थापित टावर्स आदि (टेलीफोन, मोबाइल टावर आदि)	10,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner

14–उपविधि सं0-13 में वर्णित दुकानें तथा अन्य व्यवसायों को निर्धारित शुल्क में उसके प्रभावी तिथि से 3 वर्ष के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-2004(1)/33-2-2001-26 पी/2001, पंचायतीराज अनुभाग दिनांक 26 सितम्बर, 2002 में प्रदत्त दिये निर्देशानुसार दरों में नियमित शुल्क संशोधित किये जाने का अधिकार पंचायत में निहित है।

15–वाहनों के लाइसेंस न बनवाने वाले अथवा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर जि0पं0 लिखित रूप से वाहन को अपनी अनुरक्षा में लेने का अधिकारी होगा और यदि एक सप्ताह निर्धारित किये गये शुल्क को अदा कर लाइसें प्राप्त न किया जायेगा तो बिना किसी के पकड़ा गया वाहन जि0पं0 अधिनियम के अन्तर्गत रिकवरी चालान कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

24 दिसम्बर, 2022 ई0

ग्रामीण क्षेत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री आदि को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि

सं0 320/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गई शक्ति की प्रयोग कर जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई है। यह उपविधि आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा की पुष्टि के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, तथा इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

उपविधि

1–यह उपविधि जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बंधी उपविधि कही जायेगी। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रार्न्तगत मिल/कारखाना/फैक्ट्री संचालित करने वाले व्यक्ति/संस्था को निम्न विवरण के अनुसार लाइसेंस शुल्क जिला पंचायत, हमीरपुर को देय होगा।

2–उपविधि में वर्णित मिल/कारखाना/फैक्ट्री के लिये व्यवसायवार निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को लाइसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। दरें निम्नवत् है–

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	लाइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्तिचालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्तिचालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हमीरपुर

CamScanner